जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 285 प्रभात कोटा, मंगलवार 29 जुलाई, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री से मिलीं दिल्ली में

चर्चा है कि उन्हें पार्टी में या सरकार में महत्वपूर्ण पद मिलेगाः यह आरएसएस का दबाव है, पर वह पद मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जुलाई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जबकि, यह चर्चा ज़ोरों पर है कि आर.एस.एस. चाहती है कि वसुंधरा को पार्टी या सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए।

- **दूसरी ओर मु.मंत्री भजनलाल भी शाम को दिल्ली पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान, एम.एल. खट्टर, सी.आर. पाटिल से भेंट की।**
- **आरएसएस को खुशी होगी, अगर वसुंधरा राजे भाजपा अध्यक्ष बनें। पर, भाजपा उन्हें इस पद पर पूरी तरह ''एडजस्ट'' करने को तैयार नहीं है। पहले भाजपा को बहाना मिला हुआ था कि अभी उस स्तर की जगह खाली नहीं है। पर, अब उपराष्ट्रपति का पद खाली है।**
- **वसुंधरा राजे को दिल्ली में महत्वपूर्ण पद मिलने की काफी संभावना है, पर, यह पद भजनलाल की कुर्सी होगी, इसकी संभावना नगण्य है।**

इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज शाम दिल्ली पहुंचे और उन्होंने वरिष्ठ मंत्रियों, जैसे शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, सी.आर. पाटिल और अन्य नेताओं से मुलाकात की।

चर्चा है कि भाजपा नेतृत्व राजस्थान सरकार के प्रदर्शन की गंभीरता से समीक्षा कर रहा है, क्योंकि राज्य नेतृत्व ना तो प्रशासन ठीक से संभाल पा रहा है और ना ही राजनीति को।

वसुंधरा राजे सरकार की आलोचक रही हैं और उन्होंने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुख्य समस्या यह है कि नरेन्द्र मोदी और अमित शाह दोनों ही वसुंधरा को ना तो पसंद करते हैं और ना ही भरोसा करते हैं। भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी अमित शाह ने ही लिया था, जबकि वे पहली बार विधायक बने थे और उन्हें प्रशासन या राजनीति का कोई अनुभव नहीं था।

आर.एस.एस. चाहती है कि वसुंधरा भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें, लेकिन भाजपा नेतृत्व फिलहाल इस पर राज़ी नहीं है। पहले तो यह कहा जाता था कि कोई पद खाली नहीं है, लेकिन अब उपराष्ट्रपति का पद खाली है।

भजनलाल को बदला जाएगा या नहीं, यह तय नहीं है, केवल अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन यह साफ है कि वसुंधरा राजे उनका स्थान नहीं लेंगी। पार्टी के अंदर भारी उठापटक चल रही है।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जल्द ही जगदीप धनखड़ के समर्थन में बयान देने वाले हैं। वे कह सकते हैं कि धनखड़ ने 75 की उम्र से पहले इस्तीफा देकर सही किया और मोदी को भी ऐसा ही करना चाहिए।

यह बयान राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर सकता है।

यह भी समझा जा रहा है कि हाल ही में इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और वे खुलकर तीखे बयान दे सकते हैं।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि धनखड़ जो बोलेंगे उससे मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।

मोदी को अपनी पसंद का उपराष्ट्रपति और भाजपा अध्यक्ष नियुक्त करने में मुश्किल आ रही है। इस स्थिति में संभावना है कि जेपी नड्डा को ही कुछ समय और अध्यक्ष बनाए रखा जाए, बजाय किसी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करने के।

भजनलाल को हटाया जाएगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि वसुंधरा को भाजपा में शायद वह बड़ा पद नहीं मिलेगा जिसकी वह उम्मीद कर रही हैं।

दिव्या देशमुख ने चैस वर्ल्डकप जीता

जॉर्जिया, 28 जुलाई। भारत की युवा चेस प्लेयर दिव्या देशमुख ने महिला चेस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। सिर्फ 19 साल की दिव्या ने जॉर्जिया में हुए इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की ही दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हंपी को शिकस्त देते हुए ये खिताब जीत लिया। इसके साथ ही वो वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला चेस स्टार बन गई।

- **दिव्या ने टाईब्रेक राउन्ड में भारत की ही दिग्गज खिलाड़ी कोनेरु हम्पी को हराया।**

टूर्नामेंट में दिव्या ने कई टॉप रैंक प्लेयर्स को हराया और फाइनल में जगह बनाई। हम्पी के खिलाफ फाइनल में दिव्या ने दोनों प्रमुख मुकाबले ड्रॉ खेले। जिसके बाद सोमवार को टाईब्रेक राउंड हुआ, जिसमें दिव्या ने 2.5-1.5 के स्कोर से बाजी मारी।

दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गडकरी द्वारा सरकार के काम काज के लिए ''निकम्मा'' शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है?

आम धारणा है, इस शब्द का इस्तेमाल कोई अनायास उद्गार नहीं, बल्कि सोचा-समझा आक्रमण है, मोदी-शाह के काम काज के तरीके पर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जुलाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सरकार के कामकाज को ''निकम्मा'' कहे जाने से भाजपा और एनडीए में बढ़ती अंदरुनी दरारें फिर से उजागर हो गई। अपने गृह नगर नागपुर में दिए एक तीखे भाषण में गडकरी ने नागपुर महानगर पालिका, नागपुर सुधार न्यास और कुछ कॉर्पोरेट समूहों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में अड़ंगे डालने का आरोप लगाया।

हालांकि गडकरी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान का संकेत एकदम साफ और राजनीतिक रूप से भारी था।

उन्होंने कहा, ''चाहे वो कॉर्पोरेट हो, एनएमसी या एनआईटी अगर वे योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं करते, तो सरकार को 'निकम्मी' करार दिया जाता है।'' इस बयान को महज़ एक सामान्य टिप्पणी नहीं, बल्कि मोदी सरकार की कार्यशैली पर अप्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है।

- **क्या यह संकेत दिया जा रहा है कि अगर मोदी पचहत्तर की उम्र पार करके रिटारयमैंट लेते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कई विकल्प मौजूद हैं, पार्टी में।**
- **गडकरी की हाल ही में कुछ सालों से अनदेखी हो रही है, भाजपा में। उदाहरण के लिए, गडकरी को भाजपा के ससंदीय बोर्ड से हटा दिया गया था, 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले।**
- **साथ ही आरएसएस में भी कुछ बेचैनी सी है, मोदी-शाह द्वय की काम करने की ''सैंट्रलाइज़्ड'' नीति से।**
- **हालांकि, अभी मोदी जी की ''स्टाइल'' को चुनौती नहीं है, पर, मोदी मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री, जिनकी जड़ें आरएसएस में हैं, द्वारा सार्वजनिक रूप से कुछ शिकायत दर्ज कराना, इस बात का संकेत जरूर है कि मोदी जी की विदाई के बाद आतंरिक धड़ेबाजी बढ़ेगी।**

यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भाजपा को एकजुट रहने की सख्त जरुरत है क्योंकि 2026 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नेतृत्व परिवर्तन भी संभावना है। सूत्रों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'इन-हाउस जाँच में शामिल होने के बाद इसे चैलेंज कैसे कर सकते हैं आप'

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से सख्त सवाल पूछे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा कि उन्होंने जांच प्रक्रिया में भाग लेने के बाद उस पर क्यों सवाल उठाया।

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब आपका मत है कि कमेटी को जाँच का अधिकार नहीं है तो आपने कमेटी को चुनौती देने के लिए रिपोर्ट आने का इंतज़ार क्यों किया।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने वर्मा पर एक्शन की अनुशंसा करते हुए राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा, उसमें महाभियोग की बात है, यह आपको कैसे पता है, पत्र तो सार्वजनिक नहीं किया गया है।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के साथ इन-हाउस जाँच कमेटी की रिपोर्ट संलग्न नहीं करने पर जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल को भी लताड़ा।**

कोर्ट ने यह भी पूछा कि यदि उनका मानना था कि जांच समिति को इस मामले की जांच का अधिकार नहीं था, तो फिर उन्होंने रिपोर्ट के आने तक इंतज़ार क्यों किया?

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने जस्टिस वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त सवाल पूछे, जिसमें उन्होंने इन-हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इस रिपोर्ट में उन्हें ''केस-एट-होम'' कांड में दोषी ठहराया गया है।

जस्टिस वर्मा ने अपने दिल्ली स्थित आवास से बरामद नकदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को चुनौती दी है। उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने संविधान में दिए गए न्यायाधीश को हटाने के नियमों की ओर इशारा किया।

सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि तीन-न्यायाधीशों वाली समिति की रिपोर्ट याचिका के साथ संलग्न नहीं है, तो जस्टिस दत्ता ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा, ''तीन-न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट कहां है?'' जब सिब्बल ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में है, तो जस्टिस दत्ता ने जवाब दिया, ''नहीं, आपको अपनी याचिका के साथ वह रिपोर्ट संलग्न करनी चाहिए थी।''

सिब्बल ने कहा कि संविधान के अनुसार, जब तक किसी न्यायाधीश का गलत आचरण साबित न हो जाए, तब तक उसके आचरण पर संसद में भी चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, ''अगर संसद में भी तब तक चर्चा नहीं हो सकती जब तक गलत आचरण सिद्ध न हो, तो फिर यह मानना कठिन है कि यह कार्रवाई कहीं और स्वीकार्य है। टेप्स का सार्वजनिक होना, वेबसाइट पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जैसलमेर स्कूल का प्रवेशद्वार गिरा, बालक की मौत, 2 घायल

जैसलमेर, 28 जुलाई (नि.सं.)। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पूनमनगर में विद्यालय का प्रवेशद्वार गिरने से एक बालक की मृत्यु हो गई व 2 अन्य घायल हो गए। मृतक बालक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा का भाई था और अपनी बहन को लेने आया था। एक शिक्षक अशोक

- **सात वर्षीय अरबाज़ अपनी बहन को लेने बालिका विद्यालय आया था। स्कूल की छुट्टी के समय हुए हादसे में एक शिक्षक और 5 वर्षीय छात्रा भी घायल हुए।**

कुमार सोनी पुत्र केसरीमल सोनी (आयु 40 वर्ष) एवं एक अन्य छात्रा प्रिया पुत्री महेंद्र कुमार (आयु 5 वर्ष) घायल हो गई। मृतक बालक की पहचान अरबाज खान पुत्र तालब खान (आयु 7 वर्ष) के रूप में हुई है। यह हादसा स्कूल की छुटी के समय हुआ।

प्रवेशद्वार की स्थिति पिछले कुछ समय से जर्जर बताई जा रही थी। सूचना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्टोरल रोल के प्रारुप के प्रकाशन पर रोक लगाने से इन्कार किया

पर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, बहुत सारे लोगों से मताधिकार छीनने के बजाय लोगों को मताधिकार देने पर फोकस होना चाहिए

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार में मसौदा (ड्राफ्ट) मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग की विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बार में अंतिम निर्णय करेगा।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की पीठ ने कहा कि वह कल मामले की अंतिम सुनवाई की समय-सारणी तय करेगी।

जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को यह सुझाव दिया कि ''व्यापक रूप से निष्कासन'' के बजाय ''व्यापक रूप से समावेश'' की दिशा में काम होना चाहिए।

याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि मतदाता सूची को अंतरिम रूप से अंतिम रूप न दिया जाए और मसौदा सूची के प्रकाशन पर रोक लगाई जाए।

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूर्व सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कोई अंतरिम राहत नहीं मांगी थी और चुनाव आयोग ने भी माना है कि आधार व वोटर आई डी पहचान दस्तावेज़ हैं। इसलिए स्टे ऑर्डर का तो सवाल ही नहीं उठता।**

इस पर पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पिछले आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत की मांग नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती और मामले का निपटारा एक बार में किया जाएगा।

कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि वह बिहार में पूनरीक्षण प्रक्रिया के तहत आधार और वोटर आई स्वीकार करना जारी रखे, क्योंकि दोनों दस्तावेजों को ''प्रामाणिकता की धारणा प्राप्त है।

10 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया था कि वह आधार कार्ड, राशन कार्ड या पहले जारी किए गए वोटर आई को वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करे। हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा था कि केवल इन दस्तावेजों के आधार पर किसी को मतदाता सूची में जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वैरिफिकेशन को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि आयोग प्राथमिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत है और चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामें में माना है कि आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, ''जहाँ तक राशन कार्ड की बात है, हम मानते हैं कि वे आसानी से नकली बनाए जा सकते हैं, लेकिन आधार और वोटर कार्ड में कुछ प्रामाणिकता होती है और इन्हें वैध माना जा सकता है। आप इन्हें स्वीकार करते रहें।''

याचिकाकर्ताओं ने इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया की समय-सीमा और वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने एक चुनावी राज्य में पर्याप्त सुरक्षा उपायों या सार्वजनिक स्पष्टता के बिना इतनी बड़ी पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया जल्दबाजी में की जा रही है, जिससे करोड़ों लोगों, खासकर मुस्लिमों, दलितों और गरीब प्रवासियों के मताधिकार छिनने की आशंका है।

इसके अलावा, उन्होंने इस बात को भी चुनौती दी कि नागरिकों को अपनी पात्रता साबित करने का बोझ खुद उठाना पड़ रहा है, जबकि पहले यह राज्य की जिम्मेदारी थी। उन्होंने यह भी कहा कि आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को मान्यता नहीं देना अनुचित है, जबकि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंगलैण्ड से फ्री ट्रेड एग्रीमैंट से भारत को प्रथम वर्ष में 4,060 करोड़ रूपये का नुकसान होगा और ब्रिटेन को 3,884 करोड़ रूपये का

पर, इस एग्रीमैंट से भारत की छवि ट्रेड डिप्लोमैसी (व्यावसायिक कुटनीति) में एक गंभीर खिलाड़ी की हो जायेगी, जिससे अब यूरोपियन यूनियन, कैनडा, गल्फ कॉर्पोरेशन काउन्सिल से शीघ्र ही होने वाले व्यापारिक समझौतों में भी लाभ मिलेगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जुलाई। हाल ही में तय हुए भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमैंट) से भारत को पहले साल में 4,060 करोड़ का सीमा शुल्क राजस्व नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसके दीर्घकालिक लाभों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है।

यह व्यापार समझौता भारत को कई ऐसे दीर्घकालिक लाभ दिलाएगा, जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जी.टी.आर. आई) द्वारा अनुमानित अल्पकालिक नुकसान से कहीं अधिक हैं। सबसे बड़ा लाभ, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि है। अनुमान है कि यह व्यापार 35 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 100-120 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसका कारण यह है कि अब भारत से ब्रिटेन को जाने वाले 99 प्रतिशत उत्पादों पर आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे भारतीय सामान ब्रिटिश बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इससे खासतौर पर परिधान, वस्त्र, चमड़ा, रत्न-जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान और दवाओं के निर्यातकों को लाभ होगा।

ब्रिटेन जैसा उच्च-मूल्य वाला बाजार भारतीय व्यापारियों के लिए सुलभ होना एक बहुत बड़ा अवसर है। भारतीय वस्त्र और जूते-चप्पल, जिन पर पहले 10-12 प्रतिशत तक शुल्क लगता था, अब ड्यूटी-फ्री मिलेंगे। दवाओं के मामले में भी बड़ी सफलता यह है कि ब्रिटेन ने भारतीय ''गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस'' (जी.एम.पी.) को मान्यता दे दी है,

- **साथ ही ब्रिटेन से एफटीए से भारत को फार्मास्यूटिकल्स, इलैक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, मिनरल्स के व्यापार में लाभ मिलेगा।**
- **ब्रिटेन द्वारा भारतीय प्रोफेशनल डिग्रियों को मान्यता देने से भारत के सर्विस प्रोवाइडर, विशेषकर आईटी व कंसल्टिंग के मार्केट में आउटरीच में भारी वृद्धि मिलेगी।**

जिससे भारतीय जेनेरिक दवाओं को ब्रिटेन में जल्दी और आसानी से एंट्री मिलेगी।

सेवाओं के क्षेत्र (सर्विस सैक्टर) में भी यह समझौता अहम है। ब्रिटेन ने भारतीय पेशेवरों के लिए वीज़ा नियमों में ढील दी है, जिससे आईटी, लेखा, कानूनी सेवाओं और वास्तुकला क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की आवाजाही आसान होगी। इससे न केवल रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि ग्रेटर रैमिटैंस (पैसे भेजने) में वृद्धि होगी तथा कारोबारी रिश्ते भी मजबूत होंगे।

एक अन्य बड़ा लाभ है ब्रिटेन से भारत में निवेश में वृद्धि की संभावना। यह समझौता ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत के स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवाएं, फिनटेक, इन्फ्रास्ट्रक्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को आसान बनाएगा। विदेशी निवेश से न केवल रोज़गार बढ़ेगा, बल्कि नई तकनीक आएगी और ''मेक इन इंडिया'' व आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। चीन से सप्लाई चेन हटाने के ब्रिटेन के प्रयास में भारत एक विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरेगा, जिससे भारतीय निर्माताओं को खासतौर पर फायदा होगा।

भारत को पहले से ही ब्रिटेन के साथ सेवाओं जैसे (आईटी सलाह देना आदि) के व्यापार में फायदा होता है और यह समझौता इस फायदे को और बढ़ाएगा। इस समझौते से भारत और ब्रिटेन एक-दूसरे की पेशेवर डिग्रियों और योग्यता को मान्यता देंगे। इससे भारतीय आईटी कंपनियों और सलाहकार (कंसल्टिंग) सेवाओं का ब्रिटेन में काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा।

ब्रिटेन की सरकार भी अब भारतीय कंपनियों को ज़्यादा काम दे सकती हैं,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)